राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (41) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015–16 जयपुर, दि. 09 अगस्त, 2016

– :: कार्यवाही विवरण :: –

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2016 को तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्था/टेक्निकल कॉलेज को देय भत्तों व वाहन किराया दर का निर्धारण हेतु बैठक आयोजित की गई, बैठक में संलग्न सुची अनुसार उपस्थित अधिकारी द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, चर्चा में निम्नानुसार बिन्दुओं पर सर्व सम्मति से अभिशंषा की गई।

1. कार्य की गुणवत्ता निरीक्षण हेतु तृतीय पक्ष (Third Party) निरीक्षणकर्ता को विभाग द्वारा आवंटित कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के आधार पर यदि कोई मंशीनरी, उपकरण आदि गन्तव्य स्थान तक लाने लेजाने के लिये अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता विदित होती हैं, तो ऐसे कारणो को अभिलिखित करते हुए सम्बन्धित मुख्यालय योजना प्रभारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जावेगा एवं ऐसे निर्णय का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

2. तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता को आवंटित कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु वाहन उपलब्ध करवाने के लिए कार्य सम्पादन अवधि व वाहन की श्रेणी निर्धारण के सम्बन्ध में, सम्बन्धित योजना प्रभारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित द्वारा अपने स्तर से निर्णय लेना सुनिश्चित किया जावेगा।

3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उनके स्तर से इस प्रकार के निर्णय लिये जाने हेतु, विभाग द्वारा उन्हे किसी आदेश/ परिपत्र के माध्यम से किसी विशिष्ट अवधि एवं कार्यो के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

4. तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता द्वारा कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु वाहन से की जाने वाली यात्रा के विवरण का प्रमाणीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ सम्बन्धित योजना प्रभारी जिला परिषद् द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

5. तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता को जिस जिले के लिए कार्य आवंटित किया जा रहा है उस कार्य की भुगतान कार्यवाही भी सम्बन्धित जिले के स्तर से की जावेगी। कार्यो की गुणवत्ता निरीक्षण हेतु विभागीय स्तर से कार्य आदेश जारी होने पर, उन कार्यो की भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित योजना प्रभारी द्वारा अपने अनुभाग स्तर से सम्पादित की जावेगी।

6. तृतीयं पक्ष निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण हेतु उपयोग में लिये गये वाहन के किराये का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा विवरण (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित योजना प्रभारी जिला परिषद द्वारा प्रमाणित) में अकिंत किलोमीटर से गणना कर किया जावेगा। यदि यात्रा विवरण में की गई यात्रा प्रति दिवस 250 किलोमीटर से कम है तो न्युनतम 250 किलोमीटर का भुगतान किया जावेगा।

7. तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता को वाहन किराया भुगतान जिला परिषद्/ जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के अनुसार किया जावेगा एवं मुख्यालय स्तर से आवश्यक होने पर ऐसे वाहनों के भुगतान हेतु विभागीय स्तर पर विभाग में वाहन किराए पर लेने हेतु अनुमोदित दरों से भुगतान देय होगा, एवं मुख्यालय पर प्रस्तावित भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि उक्त बिलों का दोहरा भुगतान न हो।

8. तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता को सहयोग हेतु निमार्ण कार्य की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक कुशल व एक अकुशल श्रमिकों का भुगतान सम्बन्धित जिले की BSR की दर पर किया जावेगा एवं सम्बन्धित कार्य के लिए ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों को अनुमत करने की आवश्यकता सम्बन्धी निर्णय भी सम्बन्धित योजना प्रभारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सम्बन्धित के द्वारा किया जावेगा।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
7. अधिक्षण अभियन्ता ईजीएस/एसएपी/अभियान्त्रिकी ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9. पंजीकृत तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी/अभियंता/स्वय सेवी संस्था।
10. सहायक प्रोगामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि